are worried an account of the growth of the disease of AIDS. India is one among them. In India also, several thousand cases which are HIV positive have been reported officially. We must eradicate this evil. To achieve this object, we must extend all the encouragement to medical practitioners, including the Siddha practitioners. Siddha is an indigenous medical system of the Tamils. It originated from Agas-thiar, a great saint who lived several thousand years back. We must go in for the development of Siddha medicines for this particular disease. Siddha medicines will be very cheap. I have come to know, through the Press, that Allopathic medicines for the AIDS are very costly and their availability is also doubtful.

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI) : Please conclude.

SHRI S. MUTHU MANI : In this connection, it is relevant to mention that one doctor, Dr. N.A. Rangasamy, who is also the President/Secretary of the Siddha Practitioner's Association in Dharampuri, Tamil Nadu, has sent a proposal to the Central Government. He is confident that he can cure AIDS patients with the help of Siddha medicines. He is also confident that he can prove this fact if the Go" . vemment of India gives him the required sup" port.

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): Please conclude now.

SHRI S. MUTHU MANI :He has sent his proposals to the Government of India. I urge that the proposals may be given due consideration by the Government of India sincefthe Alps has become the most worrying disease in our country.

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI) : All right. Now we will take up the clarifications on the Home Minister's statement-

CLARIFICATION ON THE STATEMENT BY MINISTERS

Incident of Parading of a Dalit Women in Dauna Vfflage in Allahabad on 21-1-1994

DR. YELAMANCHILI SIVAJI (Andhra Pradesh) : Sir, the hop. Minister mentioned in the statement that the animosity between the sons of Lurkhur Patel and Moti Lal was the cause.

What was the link between the two ? He mentioned about various sections under which the case was registered—sections 147,148, 149 etc. of the Indian Penal Code. I would like to know what the implications of these sections are. I would also like to have the explanation of the Minister. They have beena rrested and a chargesheet has been submitted to the court-Though they were arrested, why so much of time was taken to file the chargesheet? It was something like two weeks. How much a long time of more than two weeks was taken? Were there any attempts from the Government side to avoid such a long delay? It is reported-that the Chairman of the Revenue Board of Uttar Pradesh already visited the place and his report has been submitted. What are the facts of the report and what did he say in the report ? The SSP Allahabad has been transferred and action has been taken against some of the defaulting officers. What are the acts of omission on the part of the police officials in dealing with the case ? I would like to know this thing from the Minister. The Deputy Minister, Shri Ram Lal Rahi, in the Ministry of Home Affairs, also visited the place on 22nd January. What are his findings ? Are there specific suggestions to rehabilitate them ? The Home Minister has also written a demi-official letter to the Chief Minister of Uttar Pradesh. What are the contents of that letter ? That letter may be placed en the Table of the House ?

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैंने बड़े गौर से मंत्री जी के वक्तव्य को पढ़ा है लगता है कि सारा जवाब केन्द्र सरकार का नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार का है। होता भी यही है। इसमें सारी बातें छिपाई गई है। किसी भी बात में जहां पर सरकार की जिम्मेदारी है, कुछ नहीं कहा गया है। दूसरे पैराग्राफ में कहा गया है कि सूचना मिलने पर अमुक-अमुक धाराओं में केस रजिस्टर किया गया। लेकिन किस दिन रजिस्टर किया गया है, यह नहीं बताया गया है। केस किस दिन रजिस्टर किया गया यानी किस दिन एफ० आई० आर० फाईल हुई, यह नहीं कहा गया है। आगे कहते हैं कि चार्जशीट फाईल हुई

है 7-2-94 को और घटना होती है 21-1-94 को, यानी 17 दिन बाद चार्जशीट फाईल हुई। इसे छिपाया क्यों गया? पहली एफ० आई० आर० कब दाखिल की गई, इसकी जानकारी क्यों छिपाई गई?

महोदय, पहले दिन जब मारामारी हुई, झगड़ा हुआ 2 लड़कों का, रिपोर्ट उसी दिन कर दी गई थी लेकिन पुलिस कार्यवाही करने को तैयार नहीं थी। मैं चाहूंगा कि इसकी बाबत उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा जाए और स्पष्टीकरण मांगा जाए। आगे इन्होंने कहा है कि 22 लोग पकड़े गए लेकिन उनको बेल पर छोड़ा गया कि नहीं? मेरी जानकारी है कि लोग बेल पर छूटकर आए और बाद में उनको फिर गिरफ्तार किया गया। इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। मैं चाहूंगा कि इसकी जानकारी दी जाए कि कौन-कौन लोग बेल पर छोड़े गए, इनमें से कितने लोग दोषी हैं। आप कहते हैं 20 या 25, यह पुलिस की रिपोर्ट है क्या है? कौन लोग है? कितने लोग बेल पर पकड़े गए और कितने लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई है? सरकार इस मामले में कटघरे में खड़ी हुई है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इसका स्पष्टीकरण दें।

आगे बताया गया है कि रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन को इस कांड की जांच का आदेश दिया गया। अगर आपने केस रजिस्टर कर लिया है और मामला अदालत में है तो रिपोर्ट किस बात की मांगी गई है? वह रिपोर्ट क्या है? आपने विभिन्न दफाएं लगाकर लोगों को पकड़ा कुछ को बेल पर छोड़ दिया और अब रिपोर्ट मांग रहे हैं। अगर रिपोर्ट मांगी गई है तो वह रिपोर्ट क्या है, सदन को मालूम तो होना चाहिए।

आपने कहा कि फाइनेंशल ऐसिस्टेंस एक लाख दस हजार की दी गई है।

Financial assistance of rupees one lakh ten thousand has been disbursed." To whom?

डिस्बर्स का मतलब क्या है? जिन्होंने मारा है गुण्डों ने उनको दिया है, उनके खानदान को दिया है, किसको दिया है? जिस महिला पर अत्याचार हुआ है उस को दिया है तो मैं मानता।

आगे कहते हैं :—

"The State Government has reported that action has been taken by it to see that this incident which is reported to be confined to a dispute between two families does not emerge into an inter-caste clash."

मेरा चार्ज है—

अगर यह दो फैमिलीज का झगड़ा था तो आपने यह इंक्वायरी क्यों की है? दो फैमिलिज के झगड़े के लिए चेयरमैन, रेवेन्यु बोर्ड को इंक्वायरी के लिए बैठाना चाहिए? इट इज ऑल फॉड। जो कुछ डाकखाने से आया वह आप यहां पर पेश कर रहे हैं। लेकिन

-Uttar Pradesh Governmen is playing a fraudonthis.

इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इस कंट्रेडिक्शन को ऐक्सप्लेन करें। उत्तर प्रदेश से पूरी जानकारी मंगाइए। दो परिवारों का झगड़ा है और वह चेयरमैन, रैवेन्यु बोर्ड से इंक्वायरी करा रहे हैं, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि झगड़ा जातीय था, और सरकारी पार्टी के लोग उसमें इंवाल्व्ड हैं। इसके कारण इस तरह का फॉड किया जा रहा है।

श्रीमती सत्या बहिन (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो बयान दिया है, यह एक घटना के बारे में है। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक नहीं बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। यह बयान एक घटना के संबंध में है जो 21 जनवरी को इलाहाबाद के दौरा गांव में हुई जिससे समूची मानवता ही समझ लीजिए, लज्जित है। मैं पूछना चाहती हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो बयान दिया है उसमें यह दिखाया गया है कि 21 जनवरी को घटना हुई है लेकिन

उनकी गिरफ्तारी कब हुई ? अखबारों की रिपोर्ट है कि 8 दिन के बाद उन को गिरफ्तार किया गया है जब कि 22 तारीख को केन्द्रीय गृह उप मंत्री भी गए थे। 8 दिन के बाद गिरफ्तारी क्यों हुई ?

दूसरी बात मैं कहना चाहती हूं कि दूसरी घटना 12 जनवरी को हुई जिसमें एक हरिजन महिला को सरे बाजार नंगा घुमाया गया। वह अपना घर परिवार छोड़कर चली गई। 25 तारीख को 12 अनुसूचित जातियों के और 28 और 29 तारीख को गौरीपुर गांव में 25 घर जला दिए गए। क्या माननीय मंत्री जी वहां पर गए ? एक और घटना उन्नाव में हुई थी। इसी सदन में यह बात उठाई गई थी कि इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि ये घटनाएं जो होती हैं इनमें आप न्यायालय में जाते हैं, लेकिन सबूत के अभाव में अपराधी साफ बच जाते हैं। एक और बात यह भी है कि ऐसी घटनाएं जब होती हैं तो उनके केसेज इतने लंबे चले जाते हैं जिस से कि सज़ा का कोई महत्व नहीं रह जाता। मैं जानना चाहती हूं कि क्या माननीय मंत्री जी दलितों, पीड़ितों के मामलों को निपटाने के लिए विशेष न्यायालयों का गठन करेंगे, ताकि ऐसे मामले जल्दी से निपटाए जा सकें और पीड़ित व्यक्तियों को न्याय मिल सके, या नहीं ?

इस बयान में रिपोर्ट है कि राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष को जांच के लिए भेज दिया गया है। उसकी जांच उन्होंने राज्य सरकार को दी। क्या केन्द्रीय सरकार ने उनके निष्कर्षों की जांच की है, या उनकी जांच रिपोर्ट मांगी या नहीं मांगी है ? इसके साथ ही साथ मैं यह भी जानना चाहती हूं कि जहां अन्य जगहों पर उत्पीड़न हुआ, इसमें बताया गया है कि पुलिस कर्मचारियों का जो भी दोषी थे, जो भी लापरवाह पाए गए, उनको सजाएं दी गई है, निलंबित किया गया है, स्थानांतरण किया गया है, हालांकि स्थानान्तरण कोई सजा नहीं होती। मैं यह भी जानना चाहती हूं कि नई घटनाएं जो हुई हैं उन मामलों में माननीय गृह मंत्री जी यह बताएं कि वहां पर अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई है या नहीं ?

1.00 P.M.

महोदय, मुझे मालूम है कि इन के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही की गई। . . .

जहां तक मेरी जानकारी है अनुसूचित जाति के लोगों को सजा दी गई होगी लेकिन दूसरी जगह सजा दी गई या नहीं यह मैं जानना चाहती हूं। आखिर में एक बात और जानना चाहती हूं कि इसमें दिया गया है अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के प्रति अपराधों की घटनाओं के लिए कल्याण मंत्रालय को इन्वाल्व किया जाता है। यही नहीं इस सदन में कई सवाल इस तरह के उठाए जाते हैं लेकिन उन्हें तुरन्त ट्रांसफर कर दिया जाता है कल्याण मंत्रालय को। क्या यह कानून और व्यवस्था का सवाल नहीं है ? ऐसी बातों को कल्याण मंत्रालय के जिम्मे थोप कर आप बच नहीं सकते हैं। इन सब बातों का स्पष्टीकरण मैं मंत्री महोदय से चाहूंगी।

श्रीमती चन्द्रकला पांडेय (पश्चिमी बंगाल) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे 21 जनवरी को इलाहाबाद के दौना गांव में घटी इस नितान्त अपमानजनक घृणित और बर्बर घटना के बारे में कुछ भी बोलते हुए बेहद शर्मिन्दगी महसूस हो रही है। अभी सत्या बहिन जी ने जिन घटनाओं का जिक्र किया थे तो आये दिन देश के किसी न किसी कोने में घटती है। एक आजाद देश के लिए इससे बड़ी अपमानजनक और कोई बात हो नहीं सकती कि आजादी की आधी सदी बीत जाने के बाद भी महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं घट रही हैं। इससे भी अधिक दुख की बात यह है कि जलील किये जाने की इन समस्त घटनाओं के मूल में गरीबी है। जलालत की घटना जिस भी महिला के साथ घटी हो वह चाहे कलावती

हो, चाहे मद्रास की हो, चाहे महाराष्ट्र की हो, चाहे बंगाल की हो वह है गरीब । और जब तक इस देश की 75 प्रतिशत जनता गरीबी की रेखा के नीचे रहेगी जब तक उन्हें पूरी तरह शिक्षित कर उनमें नैतिक मूल्यों का अच्छी तरह विकास करने का अवसर नहीं प्रदान किया जायेगा तबतक अमीरों के अत्याचार से इसी तरह दलित पिसते रहेंगे । इस सदर्भ में पहली बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि ऐसी घटनाएं घटते ही सरकार को तुरन्त और सख्त निर्णय लेना चाहिए । यह घटना 21 जनवरी को घटी जबकि संसद में इसकी चर्चा 5 सप्ताह बाद की जा रही है । घटना घटने के बाद तत्काल सरकार को सक्रिय होना चाहिए था और पूरी जांच के बाद अपराधी को कठोर दंड देने की व्यवस्था भी करनी चाहिए थी । माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, महिला पहले इन्सान है फिर दलित, सूचित और अनुसूचित जनजातीय अथवा अन्य कुछ । मैं सदन के समक्ष यह प्रश्न रखना चाहती हूं कि जब भी देश के किसी भाग में धार्मिक, साम्प्रदायिक अथवा और किसी बात को लेकर दंगे की आग सुलग उठती है तो सहज शिकार महिलाएं ही क्यों बनती हैं ? लगता है सारा का सारा परिवेश ऐसा बन रहा है जिसमें महिलाएं ही शोषित हों । एक ओर तो मीडिया उसे वस्तु या कमोडिटी के रूप में उपभोक्ता वर्ग के सामने परोस रहा है और दूसरी ओर हिंसात्मक एवं उत्तेजनात्मक फिल्में दूरदर्शन के पर्दों के माध्यम से दूरदराज के गांवों तक पहुंच गई है । गांवों के अधकचरी मानसिकता वाले असभ्य और अल्पशिक्षित किन्तु आर्थिक रूप से कुछ सक्षम युवकों की हिम्मत बढ़ रही है और वे दुर्बल तथा गरीब तबकों से सम्बन्धित महिलाओं को अपनी हवस का और जुल्म का शिकार बना रहे हैं । इस तरह गरीब महिलाओं पर जुल्म ढाना अपनी सामाजिक समर्थता और क्षमता दिखाने का एक तरीका भी बन गया है । ऐसे मामले या तो दबा दिये जाते हैं या नजर अंदाज कर दिये जाते हैं ।

श्रीमती कमला सिन्हा (बिहार) : क्या यह क्लेरिफिकेशंस हैं ?

श्रीमती चन्द्रकला पांडेय : मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि जल्दी से जल्दी इन मामलों पर गौर करके उचित कार्रवाई करें ।

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दुख होता है कि यह घटना 21 जनवरी को घटी और मंत्री जी के वक्तव्य के अनुसार उप गृह मंत्री 22 तारीख को वहां चले गये । लेकिन 40 दिन के बाद यहां पर बयान आ रहा है । यह आपकी सीरियसनैस है । मेरा आरोप है यह आपकी ढिलाई के कारण घटनाएं घट रही हैं । आपने क्यों नहीं बयान दिया उसके तुरन्त बाद ? जिस दिन सदन प्रारम्भ हुआ क्यों नहीं बयान दिया ? 40 दिन के बाद आप बयान क्यों दे रहे हैं ? दूसरी बात फर्स्ट पैरा में आपने कहा : "The reason for this most serious offence..." These are the words which you have used जब इतना सीरियस आफेंस है तो What serious action has been taken? This is my first question. माथुर साहब ने बहुत सी बातें पूछी थीं । आपके स्टेटमैंट के सेकिण्ड सेन्टेंस में आया है Eight persons have been detained under the National Security Act.." मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने पांचवें पैरे में आपने कहा कि भारतीय दंड संहिता, प्रिवेंशन आफ एट्रासिटीज एक्ट के तहत यह मुकदमें दायर किये गये अगर इतने गम्भीर अपराध थे तो आपने नेशनल सेक्योरिटी एक्ट में 8 आदमियों को डिटेन किया, मैं पूछना चाहता हूं आपने सब के खिलाफ नेशनल सेक्योरिटी एक्ट की धारा क्यों नहीं लगाई ?

We have been advising the State Governments from time to time regarding the need to take timely, preventive, punitive and rehabilitation measures.

आपको मालूम है कि इससे पांच-छह दिन पहले कंजरनखेड़ा गांव (फतेहपुर) में घटना घटी थी । वहां अनुसूचित जाति के आठ आदमियों

को जिंदा जला दिया गया था। उसके बाद यह दूसरी घटना घटी और उसके बाद बारा-बंकी गोरखपुर, रायबरेली, बदायूं और उन्नाव में ऐसी घटनायें घट गयी।

What preventive and punitive measures have you suggested to the Government of UP ? Kindly tell us what those measures are that you have sugges ed to them.

आपने कहा कि उनके लाइसेंस, पांच आदमियों के लाइसेंस हमने सस्पेंड कर दिये हैं। But how many licenses have been given to to victims of this incident' क्या यह इसका इलाज है ? आर्म्स क्यों दिये जाते हैं। अपनी सम्पत्ति, अपनी जान और अपनी इज्जत की रक्षा के

अब कोई भी आफेंडर बचना नहीं चाहिए चाहे एक आध इन्नोसेंट उसके बीच में फंस जाय अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इन घटनाओं को रोका नहीं जा सकता है।

उनको सजा दें। हमने कई बार इस सदन में सुझाव दिये कि जो पहले अंग्रेजी के जमाने में होता था....

उपसभाध्यक्ष (सैयद सिब्ते रजी) : समाप्त करिये।

श्री संघ प्रिय गौतम : लास्ट है।

हमारे माननीय सदस्य हंसते हैं। मैं क्षमा चाहूंगा शायद मेरी पार्टी के लोग भी मुझ से सहमत न हों। मेरी राय इस बारे में कुछ अलग है। अगर ऐसी घटनाओं पर कंट्रोल करना है तो यह जो थ्योरी है कि Many offenders may be saved. But an innocent should not be punished. Should be charged as now the time is otherwise

मैं अंत में मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा आपने इसमें जिक्र किया कि गृहमंत्री जी ने पत्र भी लिखे हैं और उसमें यह भी जोड़ दिया कि आपने सारे स्टेट्स के मुख्य मंत्रियों को लिखा है

Are you going to convene a meeting of the , Chief Minister, the Home Secretary and the Home Minister of UP to have a dialogue so as to prevent these offences from occurirngs aSain in future ?

श्री मूलचन्द मीणा (राजस्थान) : उप सभाध्यक्ष महोदय, 21 जनवरी की यह घटना है जिस पर हम संसद के अंदर दुख प्रकट कर रहे हैं। मंत्री जी ने अपने स्टेटमेंट के पैरा। के अंदर जो बताया है उसमें उन्होंने दो परिवारों की लड़ाई को इस घटना के साथ जोड़ा है। यह घटना दो परिवारों की लड़ाई नहीं है वास्तव में अभी कुछ समय पूर्व यू० पी० के अंदर जो चुनाव हुए हैं उसकी घृणा का यह फल है। चाहे हम शैड्यूल्ड कास्ट लोगों के प्रति कितनी भी दया की भावना इस सदन के अंदर प्रदर्शित करें लेकिन उनके मन और उनके कार्यकर्ताओं की जो भावनायें हैं वह ही यू० पी० के अंदर उजागर हो रही है। यह एक मात्र घटना नहीं हैं बल्कि इस तीन-चार माह के अर्से के अंदर एक ही जाति के लोगों के खिलाफ, एक ही समुदाय के खिलाफ उनकी महिलाओं के खिलाफ, कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं किसी को मारा जा रहा है, कहीं पीटा जा रहा है, यह सारा यू० पी० के अंदर हो रहा है। यह जो घटना 21 तारीख को हुई, मंत्री जी इसे दो परिवारों की लड़ाई बता कर अपने उत्तर-दायित्व से बच नहीं सकते हैं। इस वक्तव्य के अन्दर मंत्री जी ने दो बातें कही है कि राज्य सरकार की रिपोर्ट के आधार पर दो परिवारों की लड़ाई है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपके डिप्टी मिनिस्टर साहब 22-1-94 को गये थे तो उनकी क्या रिपोर्ट थी ? क्या आपके मिनिस्टर की वही रिपोर्ट है जो राज्य सरकार की रिपोर्ट है ? इसमें कोई मतभेद तो नहीं है ?

मंत्री जी आपको यह भी देखना पड़ेगा कि जो भी जुल्म होते हैं वह शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों पर ही क्यों होते हैं ? इसकी कोई तो वजह होगी। यदि आपने अपने कानून को सख्ती से लागू नहीं किया कहीं यह अत्याचार कानून में ढिलाई के कारण तो नहीं हो रहे हैं। इन कानूनों को सख्ती से लागू करने के लिए क्या कदम उठाने जा रहे हैं, यह बताने का कष्ट करें।

SHRI MISA'R. GANESAN(Ianul JNaou;: Mr. Vice-Chairman, Sir, it is a very serious matter. This incident,has happened net just in Uttar Pradesh but atrocities agaist Dalits have been taking place all over India. Sir, the Minister, in para 5 of his statement, has said, "I would like to take this opportunity to assure the Members of this hon House that the Government views all incidents of this type with most serious concern and has been advising the State Government... Similarly, in para 6,,be has f aid, "The Government will continue to closely monitor the incidents of crime aginst the-Scheduled Castes, Scheduled Tribes and women and also continue effective coordination with the Ministry of Welfare in this regard". But, Sir, this coordination is lacking Actually, there is no coordination, between tt»;Home Ministry, and the Welfare Ministry. The Home Ministry holds the view that since atrocities against the Scheduled Castes and Scheduled Tribes aTe specialised crimes; they should be dealt with the Welfare Ministry as this Ministry has been specially created to deal with such matters; moreover, if feels that this job had been entrusted, with the Welfare Ministry because this subject required full concentration and attention. This is a statement-giwn by the Home Ministry. On the other hand, the Welfare. Ministry feels that this job should be entrusted with the Home Ministry as this Ministry is equipped with better infrastructural facilities to deal effective-lv with such cases, the fact that the Home Ministry is the nodal Ministry for the law ehtowemefit organisations enables it to get aUtb^necessary hdpfromthe States. But the Home Ministry on its part, points out that it cannot directly interrere with the affairs of te states for the States are responsible for law and order situation,So, this fussle is goin on between the Welfare Ministry and the Home Ministry on the one hand and between the Home Ministry and the States on'the other hand because:law and order is a State subject. The hon. Minister, i n the last para of his statement, has mentioned that effective coordination with the Ministry of Welfare, in this regard, will be taken into consideration. I would like to know from the hon. Minister as to which Ministry, whether the Welfare Ministry or the Home Ministry, is going to deal firmly with cases relating to atrocities against the Scheduled Castes and Scheduled Tribest One Ministry is trying to thrust responsibility upon the other Ministry. The second thing that I would like to know is whether the Home Ministry will ensure—now that the Home Ministry has instructed those States, which have not set up special courts, to immediately set them up—that the States, which have not complied with this direction, set up the special courts immediately.

श्रीमती कमला सिन्हा : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के बयान पर कुछ क्लेरीफिकेशन जानना चाहती हूं। मंत्री जी ने जो बयान दिया है वह सचमुच केवल रस्म अदायगी के तौर पर दिया गया बयान है। शायद इस तरह का बयान सईद साहब को नहीं देना चाहिये था। इन्होंने खुद अपने बयान में कहा कि 16 जनवरी, 1994 को दोनों परिवारों के दो बच्चों के बीच में कुछ घटना घट गई और उसके बाद इसका को ई जिक्र नहीं है। लेकिन मेरी जानकारी है कि 17 जनवरी को शिव पतिया के परिवार वालों ने थाने में खबर दी कि कोई भी दुर्घटना घट सकती है लेकिन थाने कोई भी नोटिस नहीं लिया गया। मैं यह जानना चाहती हूं कि इस बात की जानकारी सरकार को है या नहीं ? दूसरा, जो भी सरकार ने कदम उठाया है, यह तब उठाया जब वहां के जनप्रतिनिधियों ने आन्दोलन किया और यह समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ। उसके बाद कदम उठाया गया।

एक सप्ताह, दस रोज के बाद। ऐसा क्या हुआ ? तीसरी बात मैं कहना चाहती हूं कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया यह कि निर्देश

होने वाली महिलाओं के लिए एक कीमत तय कर दी—एक लाख दस हजार रुपये। पूरे देश भर में जितनी महिलाएं निर्वस्त्र की जायेंगी पब्लिक प्लेसेज में अपमानित की जायेंगी उनकी कीमत एक लाख दस हजार रुपये सरकार ने तय कर दी है। यह बहुत अच्छा किया, आपने काबिले तारीफ काम किया है। शर्म आनी चाहिए, इस बात पर। आज भी हमारे देश के कोने कोने में केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं—उत्तर प्रदेश में माया त्यागी को निर्वस्त्र किया गया और अपमानित किया गया—घटनाएं घटती चली जा रही हैं। आपने अपने बयान में कहा कि हमने स्ट्रिंजेंट मेजर्स लेने का फैसला लिया है। कहां है आपके स्ट्रिंजेंट मजर्स ? कौन लेगा ? इसके लिए आपने अपनी नोडल एजेंसी तय की है वेल्फेयर मिनिस्ट्री। जो मिनिस्ट्री बिल्कुल बिना दांत वाली है—विदआऊट एनी टीथ, जिसकी कोई शक्ति नहीं है। ठीक है बाल कल्याण का काम करायें उसके जरिये एडल्ट लिट्रेसी करायें, इन्फारमल सेक्टर में पढ़ाई का काम करायें। उससे आगे यह मंत्रालय कुछ कर पायेगा ? इसलिए अगर सचमुच में कुछ करना चाहते हैं तो गृह विभाग को यह जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि दलितों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, हरिजनों के ऊपर अगर कोई अत्याचार होता है इस तरह का तो कठोर से कठोर सजा दी जायेगी। दो चार कठोर सजाओं का प्रमाण भी आप सामने पेश करें ताकि ऐसे अपराध करने वाले आगे डरें। मैं सरकार से पूछना चाहूंगी कि क्या सरकार ऐसे कदम उठायेगी ?

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश) : महोदय, माननीय मंत्री जी ने दोना कांड के संबंध में जो प्रदेश सरकार ने रिपोर्ट भेजी है उसके आधार पर अपना वक्तव्य दिया है। वैसे यह घटना बहुत ही अमानवीय और दुखद है और चिंतनीय भी है। लोकतंत्र में आज भी इस तरह की घटनाएं आजाद भारत में हो रही है जिनको देखने और सुनने के बाद मन को बहुत ही पीड़ा होती है। मैं भी घटना स्थल पर और वहां पर गया था, करीब तीन-चार घंटे मैंने बिताये और उस समय के जो दर्शन और वातावरण था उसको देखा। वह बहुत ही रोमांचकारी था। उस महिला से भी बातें की गयी। डाक्टर भी वहां लगे हुए थे। मैं केवल इस संदर्भ में इतना कहना चाहता हूं कि सरकार कदम भी उठा रही है और इस तरह के अपराध बढ़ते भी जा रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है ? कारण यह है जो सामाजिक चेतना और जागृति इस समय आ रही है। यह भी इसके पीछे एक कारण है। स्वाभाविक है होना भी चाहिए क्योंकि अगर समाज के ऐसे लोगों में जागृति और चेतना नहीं आयेगी तो कभी वह समाज आगे नहीं बढ़ सकता है, न हम प्रगति के रास्ते पर ही जा सकते हैं। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से जो आपने यह कह दिया कि एक दो परिवारों का विवाद था तो क्या आपके पास कोई स्टेट गवर्नमेंट ने सूचना भेजी है, कोई रिपोर्ट दर्ज हुई है। यह विवाद भी था तो किस तरह का विवाद था। जब 16 तारीख को घटना के बारे में बात आती है तो जो वह झगड़ा हुआ था वह वास्तविक रूप से लुरखुर पटेल के लड़के और मौतीलाल के लड़के के बीच में हुआ था। वह भी आबादी से कुछ दूरी पर हुआ था। क्या उसकी भी रिपोर्ट थाने में दर्ज की गयी थी, उसकी भी सूचना है आपको और अगर नहीं है तो राज्य सरकार ने क्यों नहीं भेजी है यह सूचना क्यों छिपाने का काम किया। साथ ही साथ जो बहुत जरुरी है वह यह है कि उसके परिवार के लोग आज भी बहुत दुखी है इस बात से कि उनकी सुरक्षा की व्यवस्था कैसे हो क्योंकि यह बात अपनी जगह पर सही है कि यह मामला आगे नहीं बढ़ा, कोई जातिगत संघर्ष का रूप नहीं ले पाया लोगों के चाहते हुए भी, यह बहुत अच्छी बात रही। लेकिन फिर भी आवश्यकता इस बात की है कि उस परिवार के लिए सुरक्षात्मक व्यवस्था

जितनी कड़ी होनी चाहिए वह करनी चाहिए। नहीं तो अब यह घटना हो गयी। हो सकता है जो चार्जशीट तैयार हो गयी है, अदालत में चली गयी है, मुकदमा चलने के बाद यह भी लोगों के मन में भावना आये कि जो इसमें गवाह हैं और जो लोग हैं उनके खिलाफ दूसरे तरह की कार्यवाही शुरू हो। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि परिवार की सुरक्षा व्यवस्था और गवाहों की सुरक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाये गये हैं ? क्या राज्य सरकार ने आपको उसकी जानकारी दी है, अगर नहीं दी है तो क्या आप पता लगाकर सदन को अवगत कराने का काम करेंगे। यह मैं जानना चाहता हूं क्योंकि यह सवाल है कि जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके जो हमारे लिए मानवता के लिए इन्सानियत के लिए कलंक और शर्मनाक बातें होती हैं। इसलिए इस आधार पर आप राज्य सरकार को लिखें और जानकारी करें कि आखिर जो 16 तारीख को हुआ उसम कोई रिपोर्ट हुई कि नहीं। रिपोर्ट अगर हुई तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? क्यों इतना समय उनकी गिरफ्तारी में लग गया और गिरफ्तार हुए या किसी के जरिए वहां पर पहुंचाए गए थे ? ये सारे मामले हैं जो वास्तविक रूप से राज्य-सरकार का यहां तक तो जरूर मामला है, लेकिन केन्द्र सरकार की भी जिम्मेदारी है। इसलिए केन्द्र सरकार राज्य सरकार से जानकारी करे इन प्रश्नों पर और जानकारी करके सदन को अवगत कराए और यह भी विश्वास दिलाए की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और यह हरिजन उत्पीड़न न होने पाए, महिलाओं के साथ ज्यादती न हो पाए, क्या इसके लिए निश्चित रूप से कदम उठाने जा रही है ? इसके लिए एक सैल भी आप यहां पर रखिए। उसके महीने भर साल के अंतर्गत बैठ करके कुछ चर्चा कराएं कि आखिर कितनी घटनाएं हो-रही हैं, क्यों हो रही हैं, केंद के मामले कितने आते हैं। ये सारी चीजों की व्यवस्था करके आप देखिए ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

PROF. SURIN BHATTACHARYA (West Bengal) : Mr. Vice-Chairman, Sir, the trouble with the statement:given by the Government of India and delivered to us by the Minister pf State for Home Affairs is that it has wide gaps. Why the duel, referred to in first para, between two youngs boys had degenerated into an inhuman torture on the mcnther of one of the boys, the boy who belongs to the Scheduled Caste, has not been explained. It has only been said that it is reported that there was something like this on the 16th before the incident of the 21st January. The wide gap has not been covered. Later on, it has been stated that certain police officers have been suspended. But, on what ground ? As Mrs. Kamla Sinha was telling, was it-done because of the dereliction of duty on their part ? And if it was all the same, for all the police officers, why others were suspended and a singlo Superintendent of Police- was jus-transferred? traniferred ? Why is this discrimination if the offence is of the same category ?

Sir, it is a small consolation that there was no iuter-caste clash resulting from these very deplorable incidents. But, does the Government of India mean to say that .mere .issuing a demi-official letter or a circular would prevent such deplorable incidents ? Unless the Government of India takes on itself more positively the responsibility for dealing with the offences against the weaker sections of the society and the minority which is their concern, such incidents cannot be prevented. If that is not clarified, merely saying that the State Government has been admonished or has been advised will not re-assure us. And what is more, information has been given here that the Chairman of the Board of Revenue made an enquiry, and the report has been submitted. If a statement was to be given to both the Houses of Parliament, the content of that report, the direction of that report, should have been made known. Not -doing se-would mean really, .deliberately keeping the Parlia-ment in the dark. And, I hope the Minister

would kindly explain why this lapse has occur-ed ed. Thank you, Sir.

श्रीमती सरला महेश्वरी (पश्चिमी बंगाल) माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने दौसा की इस दुर्भाग्यजनक घटना के बारे में जो वक्तव्य दिया है, मैं समझती हूं कि यह घटना बहुत ही क्रूर और जघन्य घटना है, इतनी अमानवीय घटना है कि जिस महिला के साथ यह हादसा हुआ उस महिला की मानसिकता पर इसका कितना जबर्दस्त प्रभाव पड़ा होगा ? उपसभाध्यक्ष महोदय, क्या हमारे समाज के पास ऐसा कोई हथियार है, ऐसी कोई दवा है जससे कि उस महिला की मानसिकता का इलाज कर सकें ? इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगी कि यह जो बर्बर घटनाएं घट रही हैं, इन अत्याचारों के संदर्भ में हमारा गृह मंत्रालय क्या कर रहा है ? क्या गृह मंत्रालय का कार्य सिर्फ आंकड़े बटोरना भर है और सदन में पेश करना है कि 1992-93 में इतनी घटनाएं हुई ? मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि क्या ये आंकड़े बोलते नहीं हैं ? आंकड़ों की सच्चाई अगर हमारी सरकार को प्रभावित करती है, अगर सरकार की आत्मा को निचोड़ती है तो आखिर क्या कारण है कि हमारे समाज में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं ?

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहती हूं कि हम महिलाओं ने और हमारे देश के तमाम महिला संगठनों ने बड़ी आशा से राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन की मांग की थी और उसका गठन किया भी गया, लेकिन उसके बाद वह महिला आयोग क्या कर रहा है ? आज तक हमारे सदन में उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आयी । उस महिला आयोग को कोई शक्ति प्रदान नहीं की गयी । मैं गृह मंत्रालय से जानना चाहूंगी कि महिला आयोग के साथ उनका क्या संपर्क है । महिला आयोग क्या काम कर रहा है । इन घटनाओं के प्रति उसका क्या नजरिया है ? महिलाओं पर अत्याचार की जो घटनाएं घट रही हैं, क्या उसने इस संबंध में रिपोर्ट दी है, अगर रिपोर्ट दी है तो उस पर गृह मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है ?

उपसभाध्यक्ष महोदय, इस घटना का जहां तक सवाल है, सबसे पहले तो मैं यह कहूंगी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, भले ही जन-प्रतिनिधियों के दबाव से ही क्यों न हो, इस घटना के तमाम अपराधियों को जो दंड दिया, उसके लिए वह निस्संदेह साधुवाद की पात्र है कि वे लोग, वे तमाम प्रतिक्रियावादी ताकतें जोकि इस घटना का अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करती हैं और इस घटना को जातीय दंगे का रूप देना चाहती थीं, उनकी तमाम कोशिशों को उसने नाकाम कर दिया । इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार धन्यवाद की पात्र है, लेकिन उपसभाध्यक्ष महोदय, यह सवाल सिर्फ दलितों का नहीं है । दलितों में भी दलित जो हमारे समाज की सबसे दलित जाति है, वह है महिला । महिला से ज्यादा दलित मेरी समझ में कोई नहीं है उस महिला का यह सवाल है, इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि जहां तक इस घटना के संदर्भ में हमने तथ्य बटोरे हैं, हमारी जानकारी यह है कि जिसका मंत्री महोदय ने उल्लेख नहीं किया या जानबूझकर उल्लेख नहीं करना चाहा कि यह घटना होने से पहले अभियोक्ता शिव पतिया ने जाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, इसके बावजूद थानेवालों ने कोई कार्यवाही नहीं की । उपसभाध्यक्ष महोदय, जब भी दलित जातियों पर अत्याचार की घटनाएं घटित हुई है, मैंने कई बार इस सवाल को उठाया है कि क्यों नहीं हमारी सरकार इस बात की व्यवस्था करती कि ये तमाम इलाके जोकि दलित इलाके हैं, जहां कि इस तरह के अत्याचार की घटनाएं घटती रहती हैं, वहां पर विशेष अदालतों को बिठाएं, विशेष अदालतें वहां गठित करें, लेकिन आज

तक इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की गयी। मैं जानना चाहती हूं कि क्यों नहीं पुलिस थानों में विशेष महिला सेल गठित किया जाता ? कितने थानों में यह सेल गठित किया गया है, अगर मंत्री महोदय मुझे इस संबंध में तथ्य देंगे तो उचित होगा। उपसभाध्यक्ष महोदय, आज हमारे देश की पारिवारिक अदालतों का क्या हो रहा है ? कहां वे काम कर रही हैं ? इस बारे में भी कुछ काम नहीं हो रहा है। उपसभाध्यक्ष महोदय, यह जो विशेष घटनाएं घट रही हैं और खासकर उत्तरप्रदेश में यह जो घटनाएं घटी हैं–बाराबंकी में घटी है, फतेहपुरी में कंजरों के साथ जो घटना घटी है, इनकी एक विशेष पृष्ठभूमि है। उपसभाध्यक्ष महोदय, आप स्वंय जानते होंगे कि जिस प्रकार पिछले अरसे के चुनाव हुए और उन चुनावों में जिस तरह से हमारे समाज के दलित, पीड़ित, उत्पीड़ित जाति के लोगों ने लामबंद होकर प्रभुत्वशाली वर्ग के विरुद्ध समता के लिए, सामाजिक न्याय के लिए एकजुट होकर लामबंदी की, उससे समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग खोफशुदा हो गए हैं और अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धताओं से ऊपर उठकर वे तमाम लोग दलित वर्ग के विरोध में एकजुट हो गए हैं। उपसभाध्यक्ष महोदय, इस बात को सरकार को विशेष रूप से नोट कर लेना चाहिए कि आज जब दलित जातियों में, में, उत्पीड़ित जातियों में, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों एक नया जागरण देखा जा रहा है उस समय इस तरह के दंगों की श्रृंखला हम ज्यादा देख रहे हैं। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगी सरकार से, कि हमारे दलित वर्गों में आज जागरण देखा जा रहा है, वह जागरण अपनी सही दिशा की ओर इंगित हो सके, सामाजिक न्याय की लड़ाई आगे बढ़ा सके और प्रभुत्वशाली वर्ग अपनी क्षमताओं को लेकर उन पर जुल्म और अत्याचार न करे, इसके लिए जरूरी है कि आप दलित जातियों, अनुसुचित जातियों जनजातियों को ज्यादा अवसर दें कि वह इन प्रभुत्वशाली वर्गों के खिलाफ अपने संघर्ष को सही दिशा में ले जा सकें। मैं जानना चाहूंगी गृहमंत्री से, कि क्या हमारे गृह मंत्रालय ने ऐसी कोई रिपोर्ट तैयार की है ? . . .

उपसभाध्यक्ष (सैयद सिब्ते रजी) : अब आप समाप्त करें कृपया।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : बस, मैं समाप्त कर रही हूं एक मिनट में। मैं जानना चाहूंगी कि हमारे गृह मंत्रालय ने क्या ऐसी कोई रिपोर्ट तैयार की है महिलाओं के संदर्भ में ? अगर तैयार की है तो उस रिपोर्ट को कम से कम हमारे संस्कृति विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को दें ताकि जो सांस्कृतिक नीति इन्होंने तैयार की है, उस नई सांस्कृतिक नीति में इसका भी समावेश किया जा सके।

महोदय, सरकार ने जो विदेशी साम्राज्यवाद के लिए हमारे देश के दरवाजे खुले छोड़ दिए हैं उससे जो दूसरा साम्राज्यवाद हमारे देश में आ रहा है, अगर इस दूसरे साम्राज्यवाद को खुला छोड़ दिया गया तो जिस तरह विकसित औद्योगिक देशों में सेक्सुअल एब्यूजमेंट की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं तो क्या हमारे देश पर इन घटनाओं का असर नहीं होगा। हमारी बम्बईया फिल्म में आज जिस तरह उपभोगवादी संस्कृति को प्रश्रय दिया जा रहा है, यह बहुत ही खतरनाक है और यह हमारे समाज के लिए हमारी संस्कृति के लिए, मैं समझती हूं कि बहुत

बड़ी चुनौती है। मुझे गृहमंत्री जी क्या बताएंगे कि इस दिशा में आप क्या कर रहे हैं ?

श्री संघ प्रिय गौतम : सर पिछड़ी जाति के लोगों पर ही अत्याचार होता है।...व्यवधान

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI) : Now, it is time for the lunch-hour. I have two speakers in the list still who want to seek clarifications. If the House so agrees, let us finish this besuiness and then we may adjourn for lunch.

SOME HON. MEMBERS : Yes. Sir.

श्री संघ प्रिय गौतम : सर, भूखे पेट भजन न हो गोपाला...(व्यवधान) ...

SHRI P. UPENDRA (Andhra Pradesh). Will the Special Mentions be taken up after the lunch-hour?

THE VICE-CHAIRMANi(SYED SIBTEY RAZI) : I think it will be decided later on. What is the opinion of the House ?

SHRI MENTAY PADMANABHAM : Let us have those two speakers now. What about the reply of the Minister ?

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI) : I think he will not take a long time.

श्री शिव प्रताप मिश्र (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह राज्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जबसे उत्तर प्रदेश में नई सरकार आई है, उसके बाद क्या अपराधों में बढ़त हुई है या कमी हुई है ? दूसरी चीज, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो यह घृणित घटना वहां पर घटी, उस समय के प्रभारी पुलिस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई। क्या स्थानान्तरण ही किया गया या कोई और खास कार्यवाही भी की गई ? तीसरा, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस घटना के बाद पीड़ित परिवार की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या किया ? क्या उपाय किए ? क्या उक्त घटना के समय गांव की और महिलाओं को भी प्रताड़ित किया गया था ? धन्यवाद ।

श्रीमती सुषमा स्वराज (हरियाणा) : उपसभाध्यक्ष जी, उत्तरप्रदेश के इलाहाबाद जिला के दोना गांव में घटी इस शर्मनाक घटना पर राज्य गृह मंत्री जी ने इस सदन में अपना वक्तव्य रखा है। इस घटना से संबंधित जो स्पष्टीकरण पहले पूछे जा चुके हैं, उन्हें दोहरा कर मैं सदन का वक्त जाया नहीं करूंगी, लेकिन एक स्पष्टीकरण जरूर जानना चाहूंगी मंत्री जी से। सबसे पहले मैं उनका ध्यान उनके वक्तव्य के आखिरी पैराग्राफ की तरफ आकृष्ट करना चाहूंगी, जहां उन्होंने कहा है—

> "Government will continue to clorely monitor the incidents of crime against Scheduled Caste, Scheduled Tribes and women and also continue effective coordination with the Ministry of Welfare in this regard."

मंत्री महोदय से मैं यह पूछना चाहूंगी कि यह मोनेटरिंग की जो बात आपने की है, यह रस्मी है या वाकई आपने मानेटरिंग की है ? अगर यह मोनेटरिंग शुरु कर दी होती तो राज्य गृहमंत्री जी, इसके दस दिन बाद, 2 और 3 फरवरी को हमीरपुर में एक और घटना न घटी होती और उसके केवल एक महीने के अंदर यह मेरठ की घटना न घटी होती। आप जानते हैं कि हमीरपुर की घटना में तो आरोपी अभियुक्त कोई साधारण कुर्मी, पटेल या यादव नहीं है बल्कि चुना हुआ विधायक है उस दल का, सत्ता के अंदर सांझीदार है। जब यह घटना घट गई और घटना की शिकार महिला का पति जब थाने जाता है रपट लिखाने के लिए तो वहां रपट नहीं लिखी जाती और जो दण्डाधिकारी बाद में अपने दखल देकर के रपट लिखाने का काम करती है तो उनका तबादला कर दिया जाता है, उनके कान पर खिस्तौल रखी जाती है। इसके बीस दिन के अन्दर अन्दर मेरठ की घटना घटी, जहां कि एक महिला सामूहिक बलात्कार की शिकार होकर रेल की गाड़ी के नीचे कटने चली गई और वहां वह मरी नहीं, उसके हाथ-पैर दोनों कट जाने से वह अपाहिज हो गई।

ये दोनों घटनाएं इसके तुरंत बाद की घटनाएं हैं। इसलिए मैं केवल आपके इस बयान

पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं और मेरा आरोप है सरकार पर कि न तो आप किसी घटना को होने से रोकने के लिए सतर्कता बरतते हैं और न घटना हो जाने के बाद आप कोई कठोर कार्रवाई करते हैं। अगर आपने मॉनिटर करने की बात इसके अंदर रखी है, तो क्या मैं जान सकती हूं कि मॉनिटरिंग की कौन सी मशीन आपने इसके लिए तैयार की है या आपकी जो साधारण प्रशासनिक मशीनरी है, वही निगरानी और सतर्कता का काम करती है? अगर वही मशीनरी सतर्कता का काम करती है तो उस मशीनरी के लोग तो रक्षक नहीं, भक्षक बन गए हैं। वह तो स्वयं अगर वहां महिला जाती है रपट लिखवाने के लिए तो उनके हाथों बलात्कार का शिकार होती है। इसलिए मैं चाहूंगी कि सदन में आप इस बात का जवाब दें कि वाकई अगर आपने इसे क्लोज्ड मॉनिटरिंग की बात को सच करके दिखाया होता तो फिर ये घटनाएं न घटी होतीं। ये तो केवल दो घटनाएं सामने आई हैं, इतनी घटनाएं और घटी है कि एक सर्वेक्षण में प्रैस ने यह दिखाया है कि पिछले दो महीने में उत्तर प्रदेश में जितनी घटनाएं अपराध की घटी है, उतनी पिछले पांच वर्षों में नहीं घटी। तो यह आपकी क्लोज्ड मॉनिटरिंग का निष्कर्ष निकला है।

तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मॉनिटरिंग कौन सी मशीनरी आपने तैयार की है और अगर निगरानी शुरू हो गई थी उस घटना के बाद तो यह बाकी दो घटनाएं क्यों घटी ?

THE MINISTER OF STATE IN .THE MINISTER NISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P.M. SAYEED) : Mr: Vice-Chairman, Sir, I am gjatefuj to, all the Members who have participated in this discussion and have sought Clarifications on the statement I have made pn the floor of this House.

Sir, most of the Members have tried to accuse the Central Government as if we have not done anything. In fact, the statement was made in. the. other House. There was no demand in this House. We wanted to acquaint the hon. Members' With what is hdppaning there, and we wanted to have their valuable suggestions and guidelines for meting out • justice to this deprived section of the society. T have clearly given the information that was available from the State Government. The incident took place on the 21st of January, 1994, 22/25 person are reported to have been involved at the time of stripping, 8 persons have already been taken into custody and their bailrefcsed and 22 persons were arrested. As per the reports available from the State Government, it was purely a c ase of dispute between two families. As I have already mentioned in my statement, the State Government has appointed an inquiry commission headed by a very senior officer, the Revenue Board Chairman. His report also is now available before the State Government. It is being studied, and we will know the result when they take a decision on it.

I want to convey to the hon. House that public order and police are State subjects, and hence it is exclusively for the State Government to frame laws and rules to take adequate and important steps to deal with the law and order situation in the State.

Hon. Member, Dr. Sivaji has asked about the sections under which they have been charged. I have already mentioned in the statement that in addition they have been charged under sections 3(l)(iii) (x) of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atro-ctties) Act, 1989. That is only to enhance the punishment. She happens to belong to the. Scheduled Caste community also._The other sections also take care of it, but one thing that is to be noted here is that it is not only the State subject, but also a$_i$ subject which concerns the Scheduled Caste community. In spite of all these 45 years of our Independence, it is a shame on our pari to see that such incidents are taking place in different parts of the country. Many Members have quoted other incidents also. It is not only the concern of the State Government as a law and order problem, but it is also a question of atrocities on women, particularly those belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. It is a slur on our civilization that these communities havejbeen given a raw' deal. A lot of enactment? have - been enacted after dependence to gove them justice, but the results achieved have not been to aur total

satisfaction. As J have already stated that law and order and police are the State subjects. Yet we do periodically review it on the basis of the reports and issue guidelines. It being a caste concerning the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, the nodal Ministry is the Ministry of Welfare. So a proper dialogue with it also takes place. Whatever is necessary in our part, we from the Ministry of Home Affairs dp it in the form of modernising the State police police force, provide assistance in the form of Central para-military forces etc. At the same time the blame cannot be restricted either to the State Government or the Central Govement ment. What is necessary is to educate the public through media and public men. The socieiy as such will have to enlighten those people who are indulging in such atrocities on women ahd'the Scheduled Caste and Scheduled Tribe communities.

Most of the points which many hon. Members have raised are already there in my statement. If they take a little pain to read it they will know it. Some Members have asked whothere there we can minimise the recurrence of such incidents. I think the extent of punishment provided for such offences needs to be revised upwards so that the recurrence of these offences is contained.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : महोदय, मैंने बहुत सारे प्वाइंट्स उठाए थे, उनको मैं दोहराना नहीं चाहता लेकिन आपने उनको छुआ तक नहीं है। खैर, मैं यह पूछूंगा कि क्या आप स्वयं इस रिपोर्ट से सैटिस्फाईड हैं जो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने आपको दी है ? अगर सैटिस्फाइड हैं तो कह सकते हैं, अगर नहीं है तो क्या आप उनको तम्बीह करेंगे ? Will you warn them ? दो महीने में क्या हो रहा है ? Have you warned them ?

श्री एच० हनुमंतप्पा (कर्नाटक) : शिकायत करते थे पहले जब बी०जे०पी० गवर्नमेंट थी वहां पर। स्टेट गवर्नमेंट को वार्न करने की बात आप कबूलेंगे? दूसरी गवर्नमेंट हो तो स्टेट गवर्नमेंट को वार्न करो बोलते हैं लेकिन जब आपकी गवर्नमेंट रहती है ...(व्यवधान)

पढ़कर सुनाना चाहता हूं **गुरु :** यहीं मैं कह रहा हूं क्योंकि आप वार्न नहीं करना चाहते। हमारी गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं कर दिया था आपने?

श्री एच० हनुमंतप्पा: माथुर जी, आपका दोनों तरफ हमने देख लिया है। आपकी गवर्नमेंट जब थी, आपकी गवर्नमेंट को वार्न करने के लिए आप नहीं कहते थे। जब आपको सत्ता से हटा दिया गया तो आप बोलते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को वार्न करो ... (व्यवधान)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : आप जिस दिन गृह मंत्री बन जाएंगे, उस दिन मैं आपकी बात सुनूंगा। अभी सईद साहब को बोलने दीजिए।

श्री पी०एम० सईद: आदरणीय उपसभाध्यक्ष जी, माथुर जी के सवाल का जवाब देना बड़ा मुश्किल है क्योंकि हमारे लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की हैसियत से जो स्टेट गवर्नमेंट की रिपोर्ट या इन्फारमेशन मिलती है, उसमें हमारी एजेंसी तो होती है। वह भी एक मुश्किल का काम आपने छोड़ा है, वहां तो दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट है, उसमें कुछ कहना, सच हो या गलत हो, ये हमसे आप निकालना चाहते हैं, हमारे मुंह से। ये कहना अभी मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। मैं इतना कहूंगा कि यहां के आदरणीय मिश्रा जी ने सवाल पूछा कि यू०पी० में नयी सरकार आने के बाद, नयी सरकार की बात नहीं मगर एक पीरियड के आफेंसेज के बारे में जो आंकड़े मेरे पास हैं, वह मैं Sir, the number of murders that took placefrom 1-12-92 to 15-2-93 was 71 and from 1-12-93 to 15-2-94, 68. The number of grieviously hurt persons from 1-12-92 to 15-2-93 was 135 and from 1-12-93 to 15-2-94 was 166. The number of raped, persons from 1-12-92 to 15-2-93 was 55 and from 1-12-93 to 15-2-94 Was 74: The number of persons that took place from 1-12-92 to 45-2-93 was 65 and from 1-12-93 to 15-2-94 was 79. The other crime committed under IPC from 1-12-92 to 15-2-93 to 15-2-93 was 475 and from

श्री संघ प्रिय गौतम : ये आंकड़े आपने कहां से और कैसे प्राप्त किए, यह तो बता दीजिए ।

What is the source of these figures ? This is absolutely bogus. I can give you hundreds of examples in Western Uttar Pradesh alone during three months.

Shri P. M. SAYEED : You please listen to me.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : आपने 660-600 के आंकड़े दिए हैं, उससे दुगुना कर लीजिए कम से कम, 600 आंकड़े 2 महीने के.. (व्यवधान)

श्री पी० एम० सईद Details of crimes committed on the Scheduled Castes and Scheduled Tribei by other caste; ये मैंने पढ़ कर सुनाया मिश्राजी ने एक सवाल पूछा है कि क्या ऐक्शन उन अफसर के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है । तो मैं बताना चाहता हूं कि जो डिफाल्टिंग अफसर है, एडीशनल एस० पी० सर्कल और आफिसर lour other police officers have already been placed under suspension. The Senior Superin tendent of Police had already been transferred. These are the details. As has been mentioned by many Members Rs. 1,10,000 is not a compensation for the indignities she suffered.

श्रीमती सरला माहेश्वरी : महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहती हूं कि स्वयं गृह मंत्रालय ने ये आंकड़े दिए है कि हर एक घंटे में एक बलात्कार की घटना घटती हैं, हर घंटे के 59वें मिनट में महिलाओं पर अत्याचार की घटना होती है, हर 35 मिनट में महिलाओं के साथ छेड़-छाड़ होती है, ये आंकड़े गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए है । मैं कहना चाहती हूं कि एक विशेष घटना के संदर्भ मे जो आप ध्यान देते हैं, मैं जानना चाहती हूं कि क्या महिलाओं के ऊपर बढ़ते हुए अत्याचारोंकी इन घटनाओं को देखता हुए गृह मंत्रालय कोई विशेष नीति ले रहा है या नहीं, कोई खास कदम उठा रहा है या नहीं ताकि महिलाओं की सुरक्षा हो सके ?

मेरा दूसरा सवाल था कि महिला आयोग के बारे में नीति और निर्णय लेते वक्त किस तरह से आप उनको रोकेंगे ?

SHRI P. M. SAYEED : Some money is being given to her to give her peace for some time, without going for her daily work. It is only a consolation. it is not for the indignity or humiliation sufferend by her.

I think I have already covered all the points.

SHRI TINDIVANAM G. VENKATA-RAMAN (Tamil Nadu): Sir/please permit me fora minute. *(Interruptions).*

THE VICE-CHAIRMAN (SAYED SIBTEY RAZI) : All of you, please take your seats. I want to share some information with hon. Members. Today, it would not be possible for us to take up the Special Mentions. And, in the post-lunch hours of the day, we will take up the Motion of Thanks on the President's Address.

Now, the House stands adjourned till 2.45 p. m. for lunch.

The House then adjourned for lunch at fifty-two minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at fortynine minutes past - two of the clock.

The Vice-Chairman (Shri Md. Salim) in the Chair.

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS—contd.

SHRI KAMAL MORARKA (Rajasthan) : Sir, at the outset, I want]to place on- record that the President's Address, which I have gone through, hardly deals with the events of the last year. As we all know, the President's Address should contain some sort of a state-of-the Union message, as it is known in America, what the Government feels is the present situation of the country, what happened in the last year alid what the Government proposes to do in the year to come.' Now, Sir, jusf taking he memory of the House a little back from1980 1980 to 1980 there was a continuous-rule of Shrimati Indira Gandhi and Shri Rajiv (Janani, and the Congress party